

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(5)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 24-08-2016

::आज्ञा::

विधि सेवा संवर्ग एवं विधि रचना सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्मिकों को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में उनके नाम के सम्मुख अंकित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नियमानुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ एतद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	विभाग का नाम	परीक्षा जिसकी अनुमति चाही है
1.	ओम प्रकाश विश्‍नोई कनिष्ठ विधि अधिकारी	कार्यालय जिला कलेक्टर, सिरोही	सहायक अभियोजन द्वितीय प्रतियोगी परीक्षा 2015 के साक्षात्कार हेतु।
2.	विनोद कुमार कनिष्ठ विधि अधिकारी	पंजीयक सहकारिता, जयपुर	सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2015 के साक्षात्कार हेतु।
3.	सोनू महर्षि कनिष्ठ विधि अधिकारी	उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर विभाग (जोन- I), जयपुर	सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2015 के साक्षात्कार हेतु।
4.	सज्जन लाल कडेली कनिष्ठ विधि अधिकारी	नगर निगम अजमेर	1. Civil Judge Cadre 2016 की मुख्य परीक्षा 2. सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2015 के साक्षात्कार हेतु।
5.	बृजलता वर्मा कनिष्ठ विधि अधिकारी	भारतीय चिकित्सा एवं आयुर्वेदिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।	1. सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2015 के साक्षात्कार हेतु। 2. राजस्थान न्यायिक सेवा भर्ती की मुख्य परीक्षा 2016
6.	मोनिका शर्मा विधि रचनाकार	विधि रचनाकार, विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2016
7.	विनोद कुमार डबी कनिष्ठ विधि अधिकारी	महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर	सहायक लोक अभियोजक द्वितीय श्रेणी परीक्षा वर्ष 2015-16 के साक्षात्कार हेतु।
8.	कृष्ण कुमार सैनी कनिष्ठ विधि अधिकारी	विधि वादकरण (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	1. सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2015 के साक्षात्कार हेतु। 2. राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा, 2016 (आर.जे. एस.) की मुख्य परीक्षा
9.	संदीप भारद्वाज कनिष्ठ विधि अधिकारी	राजकीय वादकरण, विधि प्रकोष्ठ-4, शासन सचिवालय, जयपुर	1. सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2015 के साक्षात्कार हेतु। 2. राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा, 2016 (आर.जे. एस.) की मुख्य परीक्षा
10.	अजय कुमार कनिष्ठ विधि अधिकारी	जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय धौलपुर	1. सहायक अभियोजन अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2015 के साक्षात्कार हेतु। 2. आर.जे.एस. (मुख्य) परीक्षा, 2016

शर्त:-

1. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृति नहीं किया जायेगा।
2. परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।

-डॉ-

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

August 24-08-2016
संयुक्त शासन सचिव